न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल आर. ए. एस.

दावा
1/134

तारीख रजू.
29.06.2015

तारीख निर्णय
06.10.2015

उनवान

1. रूब्बड पुत्र हरबक्श जाति जाटव निवासी जहांनपुर तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।

..............................वादी

बनाम

1. रेशमी पुत्री हरबक्श पत्नी रामसिंह जाति जाटव निवासी जहांनपुर तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।

..................असलप्रतिवादनी

2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार (भू0अ0), रामगढ
3. उप पंजियक महोदय, रामगढ जिला अलवर।

...............तरतीबी प्रतिवादीगण

(अन्तर्गत धारा 53 व 188 आरटीएक्ट)

उपस्थित अभिभाषकगण :–
1. श्री लखविन्द्रसिंह एडवोकेट – वादी
2. श्री तैयब हुसैन एडवोकेट – प्रतिवादी

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का विवरण संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नम्बर 376 रकबा 1.02 हैक्ट0, 436 रकबा 0.25 हैक्ट0 वाके ग्राम जहांनपुर तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी विवादित है। उक्त विवादित आराजी में वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी का भी 1/2 हिस्सा रिकार्डेड खातेदारी की आराजी है। जो अबट आराजी है, जिसमें वादी व प्रतिवादनी अपने – अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। परन्तु कुछ समय से प्रतिवादनी के मन में बदयान्ति आ गई है और वो उक्त सम्पूर्ण विवादित आराजी पर कब्जा करना चाहती है तथा वादी को जबरन बेदखल करना चाहती है। उक्त विवादित आराजी का आज तक विधिक बटवारा नही हुआ विवादित आराजी में प्रत्येक हिस्सेदार का 1–1 इंच पर अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का हिस है जिसे बटवारा किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि आराजी खसरा नम्बर 376 रकबा 1.02 हैक्ट0, 436 रकबा 0.25 हैक्ट0 वाके ग्राम जहांनपुर तहसील रामगढ जिला अलवर में से वादी को 1/2

हिस्सा तथा प्रतिवादनी को भी 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी व प्रतिवादनी के नाम का अलग खाता अलग लगान कायम किया जावे तथा बजरिये तकसीम किया जाकर वादी को उसके हिस्से पर दखल दिलाया जावे। तथा असल प्रतिवादनी को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह विवादित आराजी को बिना तकसीम किये किसी दीगर व्यक्ति को मुन्तकिल मकफूल ना करे, मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 की ओर से न्यायालय में उपस्थित होकर इकबाल जवाब प्रस्तुत किया कि वादी का वाद डिक्री किया जाता है तो मुझे कोई एतराज नही है।

उभयपक्ष के विद्वान वकील की बहस सुनी गई। वादी के विद्वान वकील ने अपने बहस में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए बहस को आगे बढाते हुए बताया कि वादी व प्रतिवादी के मध्य विवादित आराजी शामलात में काश्त करना मुश्किल हो रहा है आये दिन झगडे की सम्भावना रहती है। इसलिए विवादित आराजी का तकासमा करने की इस्तदुआ की गई। प्रतिवादनी की ओर से इकबाल जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी का वाद डिक्री किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नही है।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अध्ययन किया। उभयपक्ष के विद्वान वकील की बहस पर मनन किया। जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वादी व प्रतिवादनी सहकाश्तकार खातेदार है। आये दिन झगडे की सम्भावना के कारण विवादित आराजी अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का तकासमा किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

आदेश

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार प्रारम्भिक डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 376 रकबा 1.02 हैक्ट0, 436 रकबा 0.25 हैक्ट0 वाके ग्राम जहांनपुर तहसील रामगढ जिला अलवर में हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोंशन लिमिटेड के हिस्से को छोडकर शेष आराजी में से अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के आधार पर वादी व प्रतिवादनी सं0 1 के मध्य तकसीम करने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार रामगढ़ को लिखा जावे

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

उभय पक्षकारान को पूर्व सूचना देकर अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी वादी व प्रतिवादी सं0 1 के हिस्से में तकसीम कर कुर्रेजात कायम करे व अलग लगान कायम कर पालना प्रतिवेदन 15 दिवस में भिजवावे। इसी प्रकार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जावें पत्रावली वास्ते तलबी कुर्रेजात दिनांक 10.11.2015 को पेश हो।

06.10.2015

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 06.10.2015 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06.10.2015

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल *आर. ए. एस.*

दावा	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/134	29.06.2015	06.10.2015

उनवान

1. रूब्बड पुत्र हरबक्श जाति जाटव निवासी जहांनपुर तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।

.............................वादी

बनाम

1. रेशमी पुत्री हरबक्श पत्नी रामसिंह जाति जाटव निवासी जहांनपुर तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।

..................असलप्रतिवादनी

2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार (भू0अ0), रामगढ
3. उप पंजियक महोदय, रामगढ जिला अलवर।

..............तरतीबी प्रतिवादीगण

(अन्तर्गत धारा 53 व 188 आरटीएक्ट)

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. .श्री लखविन्द्रसिंह एडवोकेट – वादी
2. श्री तैयब हुसैन एडवोकेट – प्रतिवादी

प्रारम्भिक पर्चा डिक्री

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार प्रारम्भिक डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 376 रकबा 1.02 हैक्ट0, 436 रकबा 0.25 हैक्ट0 वाके ग्राम ,जहांनपुर तहसील रामगढ जिला अलवर में हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारर्पोशन लिमिटेड के हिस्से को छोडकर शेष आराजी में से अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के आधार पर वादी व प्रतिवादनी सं0 1 के मध्य तकसीम करने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार रामगढ़ को लिखा जावे उभय पक्षकारान को पूर्व सूचना देकर अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी वादी व प्रतिवादी सं0 1 के हिस्से में तकसीम कर कुर्रेजात कायम करे व अलग लगान कायम कर पालना प्रतिवेदन 15 दिवस में भिजवावे।

प्रारम्भिक पर्चा डिक्री आज दिनांक 06.10..2015 को तैयार की जाकर सामिल मिसल की गई।

06.10.2015

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट मालपुर)

...न अधिकारी : श्री संजय शर्मा आरएएस

...दमा नं0 1/134/15 निर्णय दिनांक : 27.06.2016

उनवान

1. **रूब्बड पुत्र हरबक्श जाति जाटव निवासी जहांनपुर तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।**

..............................वादी

बनाम

1. **रेशमी पुत्री हरबक्श पत्नी रामसिंह जाति जाटव निवासी जहांनपुर तह0 रामगढ (अलवर)**

..................असलप्रतिवादनी

2. **राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार (भू0अ0), रामगढ**
3. **उप पंजियक महोदय, रामगढ जिला अलवर।**

..............तरतीबी प्रतिवादीगण

(अन्तर्गत धारा 53 व 188 आरटीएक्ट)

निर्णय

पत्रावली लोक अदालत शिविर / कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मालपुर में दिनांक 27.06. 2016 को पेश हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम जहानपुर तह0 रामगढ के खसरा नम्बर 376 रकबा 1.02, 436 रकबा 0.25 हैक्ट0 के विभाजन एवं खातेदारी अधिकारों की घोषणा तथा स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादी रूब्बड पुत्र हरबक्श जाति जाटव ने दावा न्यायालय हाजा में वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट प्रस्तुत किया जिसे दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को सुनवई का अवसर देते हुए निर्धारित प्रक्रिया अनुसार दावा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.10.2015 द्वारा वाद वादी स्वीकार कर वादी को उक्त खसरा नम्बर में विभाजन का अधिकारी घोषित कर वाद प्रारम्भिक डिक्री किया गया एवं कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार रामगढ से ली गई। जिसका विवरण इस प्रकार है कि रूब्बड पुत्र हरबक्श जाति जाटव सा0 देह खसरा नम्बर 376 रकबा 0.64 हैक्ट0 तरफ उत्तर एवं रेशमी पुत्री हरबक्श जाति जाटव सा0 देह खसरा नम्बर 376 रकबा 0.38, 436 रकबा 0.25 यानि कुल 0.63 हैक्ट0 तरफ दक्षिण इस प्रकार कब्जा अनुसार व सहमति अनुसार दोनों पक्षकारान सन्तुष्ट है। उभयपक्षकारान को सुना गया। उभयपक्षकारान द्वारा विभाजन स्कीम पर सहमति प्रकट करते हुए कोई एतराज नही किया। वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर मुताबिक विभाजन स्कीम अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाकर तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि रूब्बड पुत्र हरबक्श जाति जाटव सा0 देह खसरा नम्बर 376 रकबा 0.64 हैक्ट0 तरफ उत्तर एवं रेशमी पुत्री हरबक्श जाति जाटव सा0 देह खसरा नम्बर 376 रकबा 0.38, 436 रकबा 0.25 यानि कुल 0.63 हैक्ट0 तरफ दक्षिण वाके ग्राम जहानपुर तहसील रामगढ जिला अलवर का खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे। इसी प्रकार पर्चा डिक्री बनाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत मालपुर में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट मालपुर)

पीठासीन अधिकारी : श्री संजय शर्मा आरएएस

मुकदमा नं0 1/134/15 निर्णय दिनांक : 27.06.2016

उनवान

1. रूब्बड पुत्र हरबक्श जाति जाटव निवासी जहांनपुर तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।

..............................वादी

बनाम

1. रेशमी पुत्री हरबक्श पत्नी रामसिंह जाति जाटव निवासी जहांनपुर तह0 रामगढ (अलवर)

...................असलप्रतिवादनी

2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार (भू0अ0), रामगढ
3. उप पंजियक महोदय, रामगढ जिला अलवर।

...............तरतीबी प्रतिवादीगण

(अन्तर्गत धारा 53 व 188 आरटीएक्ट)

पर्चा डिक्री

वाद वादी स्वीकार किया जाकर मुताबिक विभाजन स्कीम अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाकर तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि रूब्बड पुत्र हरबक्श जाति जाटव सा0 देह खसरा नम्बर 376 रकबा 0.64 हैक्ट0 तरफ उत्तर एवं रेशमी पुत्री हरबक्श जाति जाटव सा0 देह खसरा नम्बर 376 रकबा 0.38, 436 रकबा 0.25 यानि कुल 0.63 हैक्ट0 तरफ दक्षिण वाके ग्राम जहानपुर तहसील रामगढ जिला अलवर का खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 27.06..2016 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)